

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी - सुश्री पार्थवी, R.A.S.

बचनवान :-

1. अब्दुल अजीज आत्मज श्री बशीरुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पीछे, छावनी, कोटा (वादी)

बनाम

1. अब्दुल वहीद आत्मज श्री बशीरुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम व पोस्ट सांगोद, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53 RTA

मुकदमा नम्बर : 32A/19

निर्णय दिनांक : 27-10-2021

GCMS id : 2019 / 00050

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं प्रतिवादी अभिभाषक एवं वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में पेश राजीनामा की तस्दीक उपरान्त आज तारीख 27-10-2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर राजीनामा की तस्दीक उपरान्त, राजीनामानुसार ग्राम मण्डाना, नायब तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1090 रकबा 2.09 हैक्टर को वादी अब्दुल अजीज के पृथक खाते तथा आराजी खसरा नम्बर 1287 की 0.45 हैक्टर, 1288 की 0.12 हैक्टर, 1289 की 0.07 हैक्टर, 1290 की 0.01 हैक्टर, 1291 की 0.17 हैक्टर, 1292 की 0.35 हैक्टर, 1293 की 0.23 हैक्टर कुल कित्ता 7 रकबा 1.40 हैक्टर को प्रतिवादी क्रम-1 अब्दुल वहीद के पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पचा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

* खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई जाकर आज तारीख 27 अक्टूबर, को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे इस्ताक्षर से जारी की गई।

P. Parthvi
(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपय		रुपय
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. अग्रशों के लिये स्टाम्प		3. प्लौडर के लिये फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिये निर्वाह खर्च	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह-खर्च		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Case No.: 32A/21
GCMS id : 2019/00050

अब्दुल अजीज बनाम अब्दुल वहीद

27/10/21 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषक उपस्थित। हमने, वादी एवं प्रतिवादी की ओर से पेश राजीनामा एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। राजीनामा पर उभयपक्षकारान की सहमति होने के कारण राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामानुसार ग्राम मण्डाना, नायब तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1090 रकबा 2.09 हैक्टर को वादी अब्दुल अजीज के पृथक खाते तथा आराजी खसरा नम्बर 1287 की 0.45 हैक्टर, 1288 की 0.12 हैक्टर, 1289 की 0.07 हैक्टर, 1290 की 0.01 हैक्टर, 1291 की 0.17 हैक्टर, 1292 की 0.35 हैक्टर, 1293 की 0.23 हैक्टर कुल कित्ता 7 रकबा 1.40 हैक्टर को प्रतिवादी क्रम-1 अब्दुल वहीद के पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। राजीनामानुसार वादी एवं प्रतिवादी को सम्पूर्ण - सम्पूर्ण खसरा दिये जाने के कारण सीधे ही फाईनल डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Park